वित्त निर्देश 26/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 24.07.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत परिवार पेंशनरों को पेंशन पर राहत की पात्रता के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.बी.-6/43/76/नि-2/चार, दिनांक 5.10.76 के प्रतिबंधों के अधीन परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियो को भी महंगाई राहत देय है । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.बी.-6/17/76/नि-2/चार, दिनांक 27.7.76 सहपठित परिपत्र क्रमांक एफ.बी.-6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2.5.77 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी, राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं है ।

2. माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक W.P.[S] 2049/2005 में पारित किये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलें में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी ।

3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.बी.-6/17/76/नि-2/चार, दिनांक 27.7.1976 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.बी.-6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2.5.77 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपिः–

पृष्ठां.क्रमांक 212/201//वित्त/नियम/चार/07,रायपुर, दिनांक 06.06.2007

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2 . सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड.शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग